

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2019

विषय:- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में।

क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3: कृषि क्षेत्र में विगत कई वर्षों से किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप कई किसान चाहते हुए भी बैंकों/समितियों से फसल ऋण प्राप्त करने के उपरांत नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र की ऋणग्रस्तता निवारण के लिए बैंकों द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाये जा सके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 05 दिनांक 05 जनवरी, 2019 अनुसार मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

1. योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक पात्रता अनुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा:-
- (अ) दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋणप्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि (Regular Outstanding loan) के रूप में दर्ज है। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में Regular Outstanding loan था तथा दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।
- (ब) दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋणप्रदाता बैंकों के लिए Non Performing Asset (NPA)

घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में NPA अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

2. मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएः-

2.1 फसल ऋण:-

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिए ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन फसल ऋण।

2.2 ऋणमान (Scale of Finance):-

प्रत्येक हेक्टेयर फसल ऋण का निर्धारण, जो उक्त कृषि सीजन में, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निश्चित किया गया हो।

2.3 ऋण प्रदाता संस्थाएँ :-

प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं एवं इनकी शाखायें स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पात्र रहेंगी:-

- (i) राष्ट्रीकृत बैंक
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (iii) सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त फसल ऋण शामिल)।

28
अ. ११६

2.4 फसल ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रः-

ऋण प्रदाता संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर से किसान को जारी किया जाने वाला समायोजित फसल ऋण खाता का ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र।

2.5 किसान सम्मान पत्रः-

नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को दिया जाने वाला सम्मान पत्र।

2.6 गैर-निष्पादन आस्तियाँ (NPA) :-

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार मान्य परिभाषा।

2.7 कालातीत ऋण :-

नाबार्ड एवं सहकारिता विभाग के परिपत्रों द्वारा परिभाषित मापदण्ड अनुसार।

3. योजना के लिए मापदण्ड:-

- 3.1 मध्यप्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया गया हो, योजना हेतु पात्र होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल रहेंगे।
- 3.2 ऐसा किसान जिसके फसली ऋण को रिजर्व बैंक/नाबाड़ के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्रचना (Restructuring) कर दी गई हो, योजना में पात्र होगा।
- 3.3 कंडिका 3.1 अथवा 3.2 में निम्न शामिल नहीं होंगे:-
- 3.3.1 कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो।
 - 3.3.2 किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण।
 - 3.3.3 सोना गिरवी रख प्राप्त किया गया कोई भी ऋण।
- 3.4 योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर DBT से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। अतः योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों के फसल ऋण खाते में आधार नम्बर सीडिंग नहीं हैं, को इस प्रयोजन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय नम्बर सीडिंग दिया जावेगा।
- 3.5 गैर निष्पादित आस्तियाँ (NPA):-
- रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NPA) के रूप में दिनांक 31 मार्च, 2018 तक वर्गीकृत फसल ऋण योजनांतर्गत मान्य होंगे, यदि उक्त फसल ऋण 1 अप्रैल, 2007 अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से प्राप्त किया गया हो। सहकारी बैंकों (तथा PACS) से 1 अप्रैल, 2007 या उसके उपरांत लिया गया फसल ऋण, जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को कालातीत ऋण के रूप में दर्ज हो, योजनांतर्गत पात्र होगा।
- 3.6 पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में योजनांतर्गत पात्रता अनुसार राशि जमा कराई जावेगी। लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त प्राथमिकता में बैंकों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

- (i) सहकारी बैंक
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- (iii) राष्ट्रीकृत बैंक

3.7 योजना के लिए निरहता/अपात्रता:-

निम्न श्रेणी के फसल ऋण योजना अंतर्गत निरहत / अपात्र रहेंगे:-

3.7.1 निम्न श्रेणियों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी:- मान. सांसद, मान. विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका / नगर पंचायत / नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।

3.7.2 समस्त आयकर दाता।

3.7.3 भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी तथा इनके निगम / मण्डल / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।

3.7.4 रूपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)

२८ अक्टूबर 3.7.5 GST में दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/ फर्म/ फर्म के संचालक/ फर्म के भागीदार।

कण्ठिका क्रमांक 3.7.1 से 3.7.5 में से किसी भी निरहता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्त कर्ता किसान निरहत/ अपात्र होगा। उपरोक्त निरहता/अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण किया जाना योजना हेतु मान्य होगा।

निरहता / अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

4. क्रियान्वयन प्रक्रिया:-

4.1 इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलॉइन (MP-online) द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल का प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी

संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

4.2. जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB); सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफ़ी के प्रोटोल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जावे।

4.2.1 सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चर्चा होने के उपरान्त ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जावेंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी दिनांक 26 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जावेगी तथा ऐसे किसान जो तब तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैं उन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जावेगा।

4.2.2 इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव/ ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी (वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का) भी कर्तव्यस्थ किये जावेंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4.2.3 जिन किसानों के नाम गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधारकार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधारकार्ड सीडिंग का कार्य दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जावेगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो, इस हेतु जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधारकार्ड सीडिंग अथवा

22
2019

बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

- 4.3 किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। आवेदन पत्र में आधारकार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता पास बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यतः निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जावेगी।
- 4.4 समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किया जावे। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जावेगी।
- 4.5 जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान के मोबाइल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जावेगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध करावेंगे।
- 4.6 जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधारकार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है, उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जावेगा।
- 4.7 बैंक शाखाओं द्वारा आधारकार्ड एवं/अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जावेगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार

३२
२१/१६

अभिप्रामाणन नहीं हुआ है, उसका UIDAI (Unique Identification Development Authority of India) के पोर्टल से अभिप्रामाणन कराया जावेगा। UIDAI पोर्टल से अभिप्रामाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचित कर सम्बन्धित किसान द्वारा आधारकार्ड अभिप्रामाणन बैंक शाखा में किया जावेगा।

- 4.8 संबंधित बैंक शाखा/समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधारकार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों अनुसार ही है तथा नाम, पिता-पति का नाम, गाँव के नाम से आधारकार्ड अभिप्रामाणन कर लिया गया है। बैंक शाखा/समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जायेगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन-पत्रों की जानकारी बैंक-शाखा/समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहाँ यह जानकारी मैच नहीं करे, वहाँ बैंक शाखा/समिति संक्षिप्त जांच कर निराकरण करेगी।
- 4.9 बैंक शाखा/समिति द्वारा डाटा सत्यापन/प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जावेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखा/समिति द्वारा 07 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधित बैंक शाखा/समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा।
- Ch-4/10
गा/10*
- जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधारकार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जावेगी।
- 4.11 गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा तथा संबंधित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी।
- 4.12 NPA/कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श कर One Time Settlement (OTS) को अंतिम रूप दिया जावेगा।
- 4.13 पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं DLCC में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांगपत्र तैयार कर जिला

कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जावेगा। कृषि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जावेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा कराई जावेगी।

- 4.14 प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS किया जावेगा।
- 4.15 भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों का Regular Outstanding loan/NPA/कालातीत ऋण समायोजित होगा उन्हें "ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र" हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जावेगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 बकाया को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पटाया गया है, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त "किसान सम्मान पत्र" से सम्मानित किया जावेगा। ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जावेगा।
- 4.16 प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी।

 कण्ठिका 4 में वर्णित निर्धारित क्रियान्वयन प्रक्रिया में संशोधन अथवा स्तरावित तिथियों में परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

5. योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रचार-प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय, सर्वर व्यवस्था, प्रपत्रों की छपाई, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान सम्मेलनों का आयोजन आदि हेतु प्रदाय बजट में से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आवश्यकतानुसार राशि व्यय कर सकेगा। इस हेतु प्रशासकीय व्यय के मापदण्ड राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति तय करने के लिए अधिकृत होगी।

6. पोर्टल प्रशिक्षण:-

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण के आयोजन किए जावेंगे।

7. शिकायत निवारण:-

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्राप्त शिकायत के परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार वेष्ठित किये जाते हैं।

8. राज्य स्तरीय समितियाँ:-

8.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति:-

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जावेगा, जिसके आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

8.2 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति:-

योजना अन्तर्गत नीतिगत निर्णय लेने तथा मॉनिटरिंग के लिए सक्षम होगी।

1. मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
2. कृषि उत्पादन आयुक्त,	सदस्य
3. विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा	संयोजक
<i>१२/११</i> कृषि विकास विभाग	
6. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
8. आयुक्त, संस्थागत वित्त	सह संयोजक
9. क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अथवा प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
10. मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
11. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ।	सदस्य

8.3 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमिति:-

प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में दिन-प्रतिदिन योजना की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमिति गठित की जाती है। उक्त समिति में प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, आयुक्त, संस्थागत वित्त, समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) सदस्य होंगे।


9. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति:-

जिला स्तर पर मुख्यमंत्री फसल क्रृण माफी योजना के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत की जाती है। इसके निम्नानुसार सदस्य है :-

1.	माननीय प्रभारी मंत्रीजी	(अध्यक्ष)
2.	कलेक्टर	(उपाध्यक्ष)
3.	मान.प्रभारी मंत्रीजी द्वारा नामांकित 4 जनप्रतिनिधिगण	सदस्य
4.	अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
6.	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	(संयोजक)
7.	उप संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
8.	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
9.	अधीक्षक, भू-अभिलेख	सदस्य
10.	जिला सूचना अधिकारी (एन आई सी)	सदस्य
11.	जिला विकास प्रबंधक (नाबाड़)	सदस्य
12.	लीड बैंक अधिकारी	(सह संयोजक)
13.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, (आदिवासी विकास)	सदस्य

10. मुख्यमंत्री फसल कृषि माफी योजना में संशोधन/ परिमार्जन / परिवर्द्धन समन्वय से आदेश प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

योजनांतर्गत उक्तानुसार समय-सीमा में विधिवत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।



(डॉ. राकेश पाटेल)

प्रमुख सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ० क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3

भोपाल, दिनांक 07 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, म.प्र., राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग।
4. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, लोक निर्माण, पर्यावरण विभाग।
5. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग।
6. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, सहकारिता, संसदीय कार्य विभाग।
7. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, गृह, जेल, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभाग।
8. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल गैस ब्रासटी राहत एवं पुर्नवास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
9. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, वाणिज्यक कर विभाग।
10. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग।
11. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग।

12. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
13. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, राजस्व, परिवहन विभाग।
14. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
15. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य, विमुक्ति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजाति कल्याण विभाग।
16. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
17. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग।
18. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
19. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, वन विभाग।
20. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, विभाग।
21. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, कुटीर एवं ग्रामोदयोग, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग।
22. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
23. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, खेल एवं युवक कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग।
- ३१५*
24. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
25. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
26. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, श्रम विभाग।
27. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभाग।
28. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

- 29.* विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
- 30.* विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, नर्मदा घाटी विकास, पर्यटन विभाग।
- 31.* विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग।
- 32.* प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
- 33.* अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
- 34.* अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
- 35.* क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
- 36.* आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, नई दिल्ली।
- 37.* आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
- 38.* आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल।
- 39.* आयुक्त संस्थागत वित्त म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 40.* मुख्य कार्यकारी अधिकारी - मेप आई.टी. (MAP - IT) भोपाल।
- 41.* मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
- 42.* आयुक्त, भू-अभिलेख, रवालियर, म0प्र0।
- 43.* आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी समितियॉ, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 44.* संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 45.* प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 46.* राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल।
- 47.* प्रबंध संचालक, अपेक्ष स बैंक, म.प्र. भोपाल।

48. राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
49. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
50. कलेक्टर्स जिला (समस्त) को पालनार्थ।
51. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- समस्त, को पालनार्थ।
52. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय को पालनार्थ।
53. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय को पालनार्थ।
54. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
55. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त)।

प्रमुख सचिव ॥६

मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग